

एफ. सं. 225/205/2024/आईटीए-II

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसंबर, 2024

विषय:- कुछ मामलों में, आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आय की विलम्बित/संशोधित विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख आगे बढ़ाना - संबंधित।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवासी व्यक्तियों के मामले में आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4) के तहत विलंबित आयकर विवरणी प्रस्तुत करने या धारा 139 की उप-धारा (5) के तहत संशोधित आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर **15 जनवरी, 2025** कर रहा है।

(डॉ. कास्ट्रो जयप्रकाश.टी)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/वित्त राज्य मंत्री के निजी सचिव
2. राजस्व सचिव के निजी सचिव
3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) और सीबीडीटी के सभी सदस्य
4. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक / आयकर महानिदेशक
5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव
7. वेब मैनेजर, आदेश को आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर पोस्ट करने के अनुरोध के साथ
8. आयकर आयुक्त (एम&डटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता, व्यापक रूप से प्रचार करने के अनुरोध के साथ
9. संयुक्त आयकर आयुक्त, डेटा बेस सेल, irsofficersonline.gov.in पर डालने के लिए
10. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
11. सभी वाणिज्य मंडल
12. गार्ड फ़ाइल

(डॉ. कास्ट्रो जयप्रकाश.टी)
अवर सचिव, भारत सरकार